

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

(हिंदी कक्ष)

बैठक की कार्यसूची

(जुलाई-सितम्बर 2019) तिमाही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की कार्यसूची निम्न प्रकार है:-

पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा।

1. बैठक के दौरान निम्न सदस्य अनुपस्थित थे।
 1. श्री पीताम्बर बेहेरा, वरि. वित्त अधिकारी - अनुपस्थित
 2. श्री चिरंजी लाल, अनुभाग अधिकारी - अनुपस्थित
 3. ई.एम.पी.डी. प्रतिनिधि - अनुपस्थित
2. निदेशक महोदय के निदेशानुसार प्रोफेसर डॉ. विजया कट्टी, डीन – प्रशासन (शैक्षिक) की अध्यक्षता में 10 जुलाई 2019 को 03.30 बजे आयोजित बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया था। संबंधित अनुभागों द्वारा कार्यवृत्त के बिंदुओं पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्यवृत्त बिंदु	अनुवर्ती कार्रवाई
1.	विभागों/अनुभागों द्वारा मासिक आधार पर ऑनलाइन आंकड़े निर्धारित अवधि में अर्थात् माह समाप्ति के अगले माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। - सभी अनुभाग/विभाग/ हिंदी कक्ष	अपरिहार्य कारणों से पिछले दो माह के दौरान राजभाषा संबंधी मासिक आंकड़े आमंत्रित नहीं किए जा सके।
2.	हिंदी में स्वामी हैंडबुक की मांग सुनिश्चित कर अतिरिक्त प्रतियां खरीदते हुए कोलकाता केंद्र सहित शेष अनुभागों/विभागों को उपलब्ध करवाई जाए। - हिंदी कक्ष	हिंदी पुस्तकों सहित स्वामी हैंडबुक की खरीद के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु फाइल प्रस्तुत की गई है।
3.	सीटीआईएल को वेबसाइट पुनर्रचना के लिए स्मरण पत्र भेजा जाए तथा डब्ल्यूटीओ केन्द्र की वेबसाइट पर उपलब्ध 'एफएक्यू' के शेष अंकों का हिंदी अनुवाद कराया जा सकता है। - हिंदी कक्ष	हिंदी अधिकारी के अस्वस्थ होने के कारण इस संबंध में कार्यवाही नहीं की जा सकी।

4.	<p>वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार पत्राचार के संबंध में गत तिमाही रिपोर्ट के साथ वर्तमान तिमाही प्रगति रिपोर्ट के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं ताकि प्रगति की स्थिति का पता चल सके।</p> <p style="text-align: center;">- सभी अनुभाग/विभाग</p>	<p>प्रत्येक तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं।</p>
5.	<p>संस्थान में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हिंदी भाषा प्रशिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर की सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से जानकारी दी जानी चाहिए ताकि प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।</p> <p style="text-align: center;">- हिंदी कक्ष</p>	<p>इस संबंध में ई-मेल के माध्यम से राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हिंदी भाषा प्रशिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर की सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को जानकारी दी गई।</p>
6.	<p>हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष 2 कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि हिंदी आशुलिपि का ज्ञान होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों से स्व-घोषणा पत्र देने से उन्हें प्रशिक्षित माना जा सकता है इसलिए शेष दो कर्मचारियों से इस संबंध में घोषणा पत्र मांगा जा सकता है ताकि प्रशिक्षण का अपेक्षित लक्ष्य पूरा किया जा सके।</p> <p style="text-align: center;">- हिंदी कक्ष</p>	<p>हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए संबंधित कर्मचारियों को स्व-घोषणा पत्र देने के संबंध में मौखिक रूप से सूचित किया गया है।</p>
7.	<p>राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अनुसार हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेशक महोदय द्वारा हर वर्ष व्यक्तिशः आदेश जारी कराने अपेक्षित हैं।</p> <p style="text-align: center;">- हिंदी कक्ष</p>	<p>हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेशक महोदय द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश जारी किया गया है।</p>
8.	<p>रेडीरिकनर फॉर इंटरनेशन बिजनेस पुस्तक के हिंदी अनुवाद व प्रकाशन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना।</p> <p style="text-align: center;">- हिंदी अनुभाग</p>	<p>संबंधित अधिकारी के अस्वस्थ होने के कारण इस अवधि में यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।</p>

बैठक की कार्यसूची के लिए प्रस्तावित बिंदु

1. अक्टूबर-दिसम्बर 2019 तिमाही कार्यशाला का आयोजन।

2. गृह-पत्रिका " यज्ञ " अंक-13 का प्रकाशन।
3. विभागों/अनुभागों से राजभाषा संबंधी आंकड़े मासिक आधार पर मंगाने का निर्णय लिया गया था। विभागों द्वारा रोजमर्रा के कार्यों की व्यस्तता के कारण मासिक आधार पर आंकड़े प्रस्तुत किए जाने में असहजता का आभास किया गया है जिसके कारण इस संबंध में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः विभागों से उक्त आंकड़े तिमाही आधार पर मंगाए जा सकते हैं।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय ।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
(हिंदी कक्ष)

31 अक्टूबर 2019 को आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन
समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को अपराह्न 03.30 बजे अध्यक्ष, वि.रा.भा.का. समिति के निर्देशानुसार प्रोफेसर डॉ. विजया कट्टी, डीन, प्रशासन (शैक्षिक) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

क्र.सं.	समिति सदस्य
1	डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता, कुलसचिव
2	श्री गौरव गुलाटी, उप-कुलसचिव
3	श्री बिमल पंडा, सिस्टम मैनेजर
4	डॉ. आर.पी. शर्मा, सहआचार्य - कोलकाता केंद्र
5	श्री देशराज, वरि. प्रशासनिक अधिकारी
6	श्रीमती दीपा पी.जी., वित्त अधिकारी
7	श्रीमती नलिनी मेशराम, प्रशासनिक अधिकारी
8	श्री बी. प्रसन्ना कुमार, प्रशासनिक अधिकारी
9	श्रीमती अमीता आनंद, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
10	श्रीमती कविता शर्मा, अनुभाग अधिकारी
11	श्री अनिल कुमार मीना, अनुभाग अधिकारी
12	श्रीमती ललिता गुप्ता, अनुभाग अधिकारी
13	श्री द्वैपायन आश, अनुभाग अधिकारी, कोलकाता केंद्र
14	श्रीमती मोहिनी मदान, अनुभाग अधिकारी
15	श्री गौरव गुप्ता, अनुभाग अधिकारी
16	श्री करुण दुग्गल, अनुभाग अधिकारी
17	श्री जितेन्द्र सक्सेना, अनुभाग अधिकारी
18	सुश्री गगन अरोड़ा, अनुभाग प्रभारी
19	श्री राजेन्द्र प्रसाद, हिंदी अधिकारी - सदस्य सचिव
20	सुश्री मोनिका वर्मा, प्रतिनिधि, कॉरपोरेट नियोजन

जुलाई-सितम्बर 2019 तिमाही विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक के दौरान समिति के निम्न सदस्य अनुपस्थित थे।

4. डॉ. नितिन सेठ, आचार्य	-	अनुपस्थित
5. श्री हरकीरत सिंह, कॉरपोरेट नियोजन सलाहकार	-	अवकाश पर
6. श्री पीताम्बर बेहेरा, वरि. वित्त अधिकारी	-	अनुपस्थित
7. श्री भुवन चन्द्र, वरि. प्रशासनिक अधिकारी	-	अनुपस्थित
8. श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना, प्रशासनिक अधिकारी	-	अनुपस्थित
9. श्रीमती सुमीता मारवाह, अनुभाग अधिकारी	-	अनुपस्थित
10. श्री चिरंजी लाल, अनुभाग अधिकारी	-	अनुपस्थित
11. श्री राकेश कुमार ओझा, अनुभाग अधिकारी	-	अनुपस्थित
12. प्रकाशन अनुभाग प्रतिनिधि	-	अनुपस्थित

अनुवर्ती कार्रवाई हेतु बिंदु निम्न प्रकार हैं: -

राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करने हेतु मासिक आधार पर ऑनलाइन आंकड़े मंगाए जाने चाहिए तथा विभागों/अनुभागों द्वारा ये आंकड़े निर्धारित अवधि में अर्थात् माह समाप्ति के अगले माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। साथ ही कंप्यूटर केंद्र ऑटो रिमाइंडर भेजने के लिए साफ्टवेयर/लिंक तैयार करे ताकि रिपोर्ट समय पर न मिलने पर संबंधित अनुभाग को मासिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने के लिए स्वतः स्मरण कराया जा सके।

- सभी अनुभाग/विभाग/ हिंदी कक्ष/कंप्यूटर सेंटर

हिंदी पुस्तकों की खरीद हेतु बजट को ध्यान में रखते हुए, हिंदी में स्वामी हैंडबुक की मांग सुनिश्चित कर अतिरिक्त प्रतियां खरीदते हुए कोलकाता केंद्र सहित शेष अनुभागों/विभागों को उपलब्ध करवाई जाए।

- हिंदी कक्ष

कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी में कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से हिंदी कार्यशाला के दौरान सहभागियों को श्री राकेश कुमार ओझा, अनुभाग अधिकारी द्वारा फॉनेटिक टाइपिंग संबंधी जानकारी दी जा सकती है।

- हिंदी कक्ष

हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को 'स्व-घोषणा पत्र' देने के लिए सूचित किया जाए ताकि प्रशिक्षण का अपेक्षित लक्ष्य पूरा किया जा सके।

- हिंदी कक्ष

संस्थान में हिंदी सप्ताह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर हर्ष व्यक्त किया गया। दिल्ली में आयोजित हिंदी सप्ताह की तरह ही कोलकाता केंद्र पर भी "हिंदी सप्ताह" का आयोजन किया गया तथा प्रतियोगिताओं एवं अन्य कार्यक्रमों का ब्योरा फोटो सहित भिजवाने का अनुरोध किया गया ताकि संस्थान वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

- कोलकाता केंद्र

डब्ल्यूटीओ केंद्र, क्षेत्रीय व्यापार केंद्र व व्यापार एवं निवेश कानून केंद्र पर कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने हेतु यूनिकोड संबंधी जानकारी देने हेतु हिंदी कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

- हिंदी कक्ष

विभागीय पत्रिका 'यज्ञ' के प्रकाशन के लिए सभी संस्थान सदस्य समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी मौलिक रचनाएं समय पर भिजवाएं ताकि पत्रिका का इस बार भी सफल प्रकाशन किया जा सके।

- सभी अनुभाग/विभाग

नराकास आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में कोलकाता केंद्र स्थायी कर्मचारियों को वरीयता देते हुए संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को नामित कर सकता है।

- कोलकाता केंद्र

बैठक में सदस्यों की अनुपस्थिति की संख्या को देखते हुए अध्यक्ष ने आदेश दिया कि सभी सदस्य बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करें और बैठक में भाग न ले पाने की स्थिति में सूचना समय पर सदस्य-सचिव को दें।

- सभी सदस्य

अध्यक्ष महोदया को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।